भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5177
जिसका उत्तर बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष न्यायालय

5177. डॉ. उमेश जी. जाधव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सहित देशभर में, वर्ष 2016 में यथासंशोधित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सुनवाई हेतु पंजीकृत मामलों के लिए स्थापित विशेष न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है ; (ख) साठ दिनों की अवधि के दौरान कितने मामले निपटाए गए हैं और आज की तिथि तक कितने मामले लम्बित हैं ; और

(ग) अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ख) : अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए विशेष न्यायालयों का गठन और उनकी कार्यपद्धति/मानीटरी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आता हैं, जो उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करके अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015", जिसकी अधिसूचना राजपत्र में तारीख 01.01.2016 को प्रकाशित की गई थी, की धारा 14 के अनुसार, ऐसे न्यायालयों की स्थापना करते हैं। राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या तो एक अथवा एक से अधिक जिलों के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करती हैं या जहां इस अधिनियम के अधीन कम संख्या में मामले अभिलिखित हैं, ऐसे जिलों के लिए अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रुप में नामित करती हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिकांश राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों ने जिला सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रुप में नामित किया है।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 60 दिनों की अवधि के भीतर निपटाए गए मामलों की संख्या के साथ संपूर्ण देश में स्थापित किए गए विशेष न्यायालयों की कुल संख्या और आज की तारीख तक ऐसे न्यायालयों में लंबित मामलों की राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार संख्या उपाबंध के अनुसार है।

(ग) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध कारित अत्याचारों के अपराधों को रोकने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शीघ्र न्याय प्रदान करने के क्रम में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का 1) , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 अधिनियमित किए गए थे । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के उपबंध केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं तथा मुख्य रुप से, उन्हें प्रवर्तन और न्यायिक मशीनरी को सुदृढ़ बनाने के लिए अनुज्ञेय केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

****

उपाबंध

क्र.सं.	राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार स्थापित विशेष न्यायालयों की संख्या (31.03.2019 के अनुसार)	साठ दिनों की अवधि के भीतर विशेष न्यायालयों में निपटाए गए मामलों की संख्या	राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र के विशेष न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	13	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 3698
2.	मिजोरम	02	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 0
3.	नागालैंड	08	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 0
4.	बिहार	37	-	30.06.2019 की स्थिति के अनुसार 46951
5.	छत्तीसगढ़	23	90	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 975
6.	दिल्ली	11	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 271
7.	गोवा	02	0*	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 27
8.	महाराष्ट्र	170	5*	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 6435
9.	गुजरात	63	154**	15.07.2019 की स्थिति के अनुसार 4462
10.	हरियाणा	21	47	30.06.2019 की स्थिति के अनुसार 982
11.	पंजाब	22	14	30.06.2019 की स्थिति के अनुसार 267
12.	चंडीगढ़	01	0	30.06.2019 की स्थिति के अनुसार 02
13.	झारखंड	24	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 1952
14.	कर्नाटक	32	02***	01.07.2019 की स्थिति के अनुसार 5373
15.	केरल और लक्षदीप	14	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 2174
16.	मध्य प्रदेश	50	-	30.06.2019 की स्थिति के अनुसार 18042
17.	ओडिशा	94	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 11495
18.	राजस्थान	35	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 10773
19.	सिक्किम	04	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 03
20.	तमिलनाडु	06	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 1356
21.	त्रिपुरा	05	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 03
22.	उत्तर प्रदेश	40	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 70266
23.	उत्तराखंड	13	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 251
24.	तेलंगाना	10	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 3115
25.	दमण और दीव	01	0	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 01
26.	दादरा और नागर हवेली	01	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 06

*** आरोप पत्र फाइल करने की तारीख से 31.01.2019 तक दो महीने की अवधि के भीतर निपटाए गए मामले**

**** तारीख 15.05.2019 से 15.07.2019 तक की अवधि के भीतर निपटाए गए मामले**

***** वर्ष 2018 के दौरान आरोप पत्र की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर निपटाए गए मामले**

****